23/12/24	पत्रावली पेश हुई। सकुलाद फरीके [illegible] उपस्थित। न्यायालय सम[illegible] एवं दीगर कार्यों में व्यस्त [illegible] सुनवाई नहीं हो सकी। लिहाजा मिसल [illegible] तावा होकर आईन्दा 12/2/25 पेश हो।
12.02.25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता व प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

12/02/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.14 10:28:43 IST
Reason: SelfAttested